न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 53/2022, जिला सीकर

1. जगदीश पुत्र सुरजन जाति जाट निवासी ग्राम भदवारी तहसील व जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम भदवासी तहसील व जिला सीकर।
2. सुरजन पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम भदवासी तहसील व जिला सीकर।
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कटराथल जरिये शाखा प्रबंधक।
4. उप पंजीयन सीकर तहसील व जिला सीकर।
5. तहसीलदार सीकर जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

6. छोटी देवी पुत्री सुरजन
7. मंजूदेवी उर्फ भागोती देवी पुत्री सुरजन
8. सन्तोष देवी पुत्री सुरजन
9. सरिता पुत्री सुरजन
10. सुभाष पुत्र सुरजन
11. राजेन्द्र पुत्र सुरजन
12. सुनिल पुत्र सुरजन

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम भदवासी तहसील व जिला सीकर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर निर्णय दिनांक 22.11.2021 प्रकरण संख्या 398/2021

उपस्थित—

1. श्री लालचन्द जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री हरलाल सिंह वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —19.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 22.11.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष खसरा नं0 445/1 रकबा 4.6300 है0, 445/2 रकबा 5.1700 है0 वाके ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर की नक्शानुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश पुत्र सुरजन जाति जाट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार

Scanned by CamScanner

करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 22.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलवी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि आराजी खसरा नं. 445/1, 445/2 अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स की खानदानी कृषि भूमि है जो कि पूर्वज किशनाराम की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई एवं विभाजन पश्चात् खसरा नं. 445/1 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को एवं खसरा नं0 445/2 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को प्राप्त हुई जिसके पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुरजन पुत्र किशनाराम के हिस्से की भूमि खसरा नं 445/1 पर जन्म से अधिकार है। अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट 6 व 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसकी अपील करने पर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी सीकर ने दिनांक 02.03.2020 को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया हुआ है इस स्टे आदेश के बावजूद भी खसरा नं. 445/1 के राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में मौके के विपरित तब्दिली कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एक दिन में ही पटवारी की रिपोर्ट लेकर कैम्प शिविर में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 22.11.2021 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि आराजी खसरा नं. 445/1, 445/2 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका विभाजन पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं बंटवारे के दौरान सहबन से तरमीम गलत हो जाने के कारण एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की सहमति एवं प्रकरण में तहसीलदार सीकर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर नजरी नक्शानुसार दुरूस्ती के आदेश दिये गये ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त पेश किये:

1. आर.आर.टी 2021(1) सुप्रीम कोर्ट पेज 19
2. आर.आर.टी 2012(1) पेज 374
3. आर.आर.टी 2021(2) पेज 1443

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की सहमति एवं प्रकरण में तहसीलदार सीकर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक

Scanned by CamScanner

28.03.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर ग्रहण किया जाता है। उक्त विवादित भूमि आराजी खसरा नं. 445/1, 445/2 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि है अपीलांट उक्त भूमि में काश्तकार नहीं है इसलिए अपीलांट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की आपसी सहमति एवं प्रकरण में तहसीलदार सीकर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये हैं। अपीलांट का तर्क है कि न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी सीकर ने दिनांक 02.03.2020 को स्थगन आदेश दिया हुआ है एवं इस स्थगन आदेश के बाबजूद भी खसरा नं. 445/1 के राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रैस में मौके के विपरित तब्दिली कर दी गई। इस संबंध में हमारा मत है कि राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश दिया गया है और किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना की जाती है तो प्रभावित पक्षकार को संबंधित न्यायालय में आदेश की अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर उचित एवं विधिसम्यक है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 22.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner